झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संचिका—म0नि0—II—उयो0—36/2016—17/ 56 /मत्स्य, राँची, दिनांक 30.03.2022

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0 भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय— चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कुल मो0 163.4908 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख उनचास हजार अस्सी) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत् उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा माँग संख्या—53—कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष—4405— मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय में राज्य योजना मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में 100 शैय्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ—साथ सेमीनार हॉल के निर्माण की स्वीकृत योजना के भुगतान हेतु लंबित राशि तथा उक्त नवनिर्मित छात्रावास परिसर के विकास (Campus Development) हेतु कुल मो0 163.4908 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख उनचास हजार अस्सी) रुपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत राशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख) रूपये मात्र का व्यय किया जाएगा एवं शेष मो0 45.4908 लाख (पैंतालीस लाख उनचास हजार अस्सी) रूपये मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2022—23 के बजट में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

इस योजना अंतर्गत लंबित राशि के भुगतान के अतिरिक्त नवनिर्मित छात्रावास के अवशेष राशि के भुगतान के साथ—साथ छात्रावास परिसर में गेट के साथ चाहरदीवारी, आर0सी0सी0 ड्रेन, लैंडस्केपिंग कार्य, पेवर एरिया, कलवर्ट, डीप बोरिंग, वाहन पार्किंग स्थल, सेप्टिक टैंक, गॉर्ड रुम आदि का कार्य कराया जाएगा।

2. उपर्युक्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के अधीन निम्न रूप से दी जाती है—

(क) वित्तीय वर्ष 2018—19 में राज्यादेश सं0 62 रा0 (विभाग) दिनांक 12.02.2019 द्वारा स्वीकृति योजना अन्तर्गत नवनिर्मित छात्रावास के अवशेष राशि का भुगतान

(राशि रू0 में)

क्रम	सम्पन्न निर्माण कार्य	कुल लागत	मापी पुस्तिका के अनुसार भुगतान हेतु लंबित राशि	वर्ष 2021—22 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में 100 शैय्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ—साथ सेमिनार हॉल का निर्माण	3,70,86,600/— (मो0 3,00,12,650/— रू0 मात्र वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित)	50,24,580/—	50,24,580/—

(ख) नवनिर्मित छात्रावास परिसर का विकास (Campus Development)

(राशि रू० में)

क्रम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	कुल लागत	वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु प्रस्तावित राशि
1	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में नवनिर्मित छात्रावास का परिसर विकास (Campus Development) कार्य	1,13,24,500/–	67,75,420/–	45,49,080/–
	कुल :	1,13,24,500/–	67,75,420/–	45,49,080/–

3\. (क) मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में 100 शैय्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ–साथ सेमिनार हॉल के निर्माण के मो0 3,70,88,600/– रू0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 03.12.2018 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है। इसके विरुद्ध मो0 3,00,12,650/– रू0 मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित हैं।

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0 – 2, राँची के पत्रांक 2936/अनु0, राँची दिनांक 13.12.2021 के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 3,70,88,600/– रुपये तथा मापी–पुस्तिका के विरुद्ध अवशेष राशि मो0 50,24,580/–रू0 मात्र निम्न रुप से हैं–

(राशि रुपये में)

एकरारनामा की राशि		वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्व आवंटित राशि	मापी पुस्त में संधारित राशि		व्यय राशि			वर्तमान में आवश्यक आवंटन
भवन अंश	वास्तुविद		भवन अंश	वास्तुविद	भवन अंश	वास्तुविद	कुल व्यय	
3,26,18,077/–	5,65,212/–	3,00,12,650/–	3,45,78,900/–	4,58,330/–	2,95,54,320/–	4,58,330/–	3,00,12,650/–	50,24,580/–

कार्य पूर्ण एवं भवन हस्तांतरित है। कार्य की मात्रा में एकरारनामा की राशि से वृद्धि हुई है जो अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत है।

3\. (ख) मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में नवनिर्मित छात्रावास के परिसर विकास (Campus Development) कार्य के मो0 1,13,24,500/– रू0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची, द्वारा दिनांक 28.02.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

उक्त नवनिर्मित छात्रावास के परिसर विकास हेतु वर्णित कार्यों के आवश्यकता का आकलन करने हेतु राज्य स्तर से एक समिति गठित की जायेगी। गठित समिति के निर्णय के आलोक में उक्त कार्यों का क्रियान्वयन आवश्यकता आधारित किया जायेगा।

4\. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :–

मॉँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3	6
1	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–71–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना–विस्तृत शीर्ष–06–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050079671010545	118.00	118.00
	कुल योग :	118.00	118.00

मो0 118.00 लाख (एक करोड़ अठारह लाख) रू0 मात्र।

5. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. इस योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत राशि मो0 118.00 लाख रु0 मात्र इसी वित्तीय वर्ष में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका 2 एवं 3 में अंकित कार्य, वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–02, राँची के जमा खाते में पुस्त हस्तांतरित की जाएगी।

उल्लिखित निर्माण कार्य का कियान्वयन राज्य योजना – मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (पूर्णतः राज्य योजना) से ही किया जाएगा तथा किसी अन्य योजना से इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

7. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व में किए गए कार्यों के अतिरिक्त ही कार्य किए जाएँगे किन्तु किसी भी योजना का दोहरीकरण नहीं किया जाएगा।

8. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

9. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2581 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. वित्तीय वर्ष 2020–21 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि (मुख्य शीर्ष–2405 में मात्र) मो0 695.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 516.52 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

13. यह एक चालू राज्य योजना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 56 राँची/ दिनांक 30.03.22

प्रतिलिपि :संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं संबंधित मुख्य अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 56 राँची/ दिनांक 30.03.22

प्रतिलिपि :योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव